बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र० / यो० बजट–04 / 16 पटना, दिनांक – ________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु 1897.50 करोड़ रूपये की स्वीकृत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 587.3847 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

दिनांक 18.12.2015 को मंत्रिपरिषद द्वारा सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम / नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, इसमें से एक निर्णय 'हर घर को विद्युत संबंध' निर्धारित समय में प्रदान किये जाने से संबंधित है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश संख्या– 758 दिनांक 04.03.2016 द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु 1897.50 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इस योजना से संबंधित क्रियान्वयन नियमावली विभाग के द्वारा तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) लिमिटेड के अनुषंगी दोनों वितरण कम्पनियों यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को विद्युत संबंध देने हेतु संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट में उपबंद्धिक राशि 587.3847 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'हर घर को विद्युत संबंध' देने हेतु 1897.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 587.3847 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (हों0) कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह राशि मुख्य शीर्ष 2801–बिजली, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों में सहायता मांग सं0–10 – उपशीर्ष–0106 मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना विपत्र कोड– P2801051900106 विषय शीर्ष–3301–सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5 इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN–0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायेगी।

6. उक्त निमित राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी।

7. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

कृ०पृ०प०

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र०/यो० बजट–04/16 के पृष्ठ संख्या 06/टि० पर दिनांक 16.02.2016 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र०/यो० बजट–04/16 के पृष्ठ संख्या–16/टि० पर दिनांक–28.09.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र०/यो० बजट–04/16............................ पटना, दिनांक – ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र०/यो० बजट–04/16......182...... पटना, दिनांक – 25/01/2017

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/ वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

6)